आवश्यक

संख्या: 30/2017/2429/12-2-2017-60(60)/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना का जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसल ऋण मोचन की कार्य योजना जारी की गयी है। कार्य योजना के अन्तर्गत योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूप-रेखा, हित धारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0, ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा योजना के सम्बन्ध में शिकायतों के निवारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का संचालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर योजना के संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा योजना का जनपद स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाना है। जनपद स्तर पर योजना का संचालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

3. प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए फसल ऋण मोचन योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आहूत वीडियो कांफ्रेंसिंग में योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन आप सभी को निर्देशित किया जा चुका है।

4. प्रश्नगत योजना की प्रगति की समीक्षा किए जाने पर यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति अत्यन्त धीमी है। अत- इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करायें:-

(1) बैंक शाखाओं के स्तर से वेब-पोर्टल पर अपेक्षित डाटा फीडिंग (यथा आधार/भूलेख मैपिंग) दिनांक 22 जुलाई, 2017 तक पूर्ण करा लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) किसी बैंक शाखा में पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये डाटा में कोई त्रुटि होने के कारण फीडिंग सम्भव नहीं हो पा रही है तो उसका विवरण तत्काल कृषि विभाग/संस्थागत वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।

(3) उपरोक्त योजनान्तर्गत सूचना विभाग द्वारा प्राप्त होने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री का व्यापक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हों, इस हेतु जनपद/तहसील/ब्लाक/ग्राम स्तर तक पर उपयुक्त सार्वजनिक स्थल/शासकीय कार्यालय का चिन्हांकन करते हुए इसकी सूची तत्काल तैयार कर ली जाये।

(4) ऐसे कृषक जिनके पास आधार कार्ड हैं, परन्तु बैंक के ऋण खाते में सीडिंग न होने के कारण बैंक द्वारा फीड किए जा रहे डाटा में उक्त आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, उनके विषयगत उपरोक्त संबंधित कृषकों से उनका आधार नम्बर एवं इस विषयगत उनका सहमत पत्र प्राप्त किए जाने की कार्य योजना ग्रामवार पहले से ही बना ली जाये जिससे पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के साथ ही यथाशीघ्र आगामी चरण में डाटा फीड कराये जाने हेतु उपरोक्त उपलब्ध रहे। उक्त के अतिरिक्त जिन कृषकों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके आधार कार्ड बनवाये जाने हेु कैम्प लगाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अर्ह कृाकों की सूची बनाये जाने के विषयगत समुचित सत्यापन कराये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी पूर्व से करते हुए उपरोक्त सत्यापन भली-भॉति सुनिश्चित कराया जाये।

(6) जिलाधिकारी जनपद स्तर पर तथा मण्डलायुक्त मण्डल स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं उसकी प्रगति की स्वयं दैनिक समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन शासन एवं कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(7) जनपद स्तर पर योजना को संचालित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा योजना का जनपद स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाना है। योजना के सम्बन्ध में कृषकों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कृषि विभाग द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नम्बर-18001800544 का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय और जनपद व तहसील स्तर पर शिकायतों का निराकरण तत्परता से सुनिश्चित कराया जाय। योजना के सम्बन्ध में सूचना विभाग से समन्वय कर समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडियो, रेडियो आदि विभिन्न माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in